फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

1. गंगाराम सुथार पुत्र बुधर राम सुथार जाति सुथार निवासी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

बनाम

1. नारायण पुत्र श्री बुधर सुथार जाति सुथार निवासी झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार।

अपील सं.– 72/2011 अंतर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
GCMS No.–2011/00056

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेश लदरेचा अनुपस्थित। यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 02.06.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोन्डेंट सं. 1 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.08.2012 से पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक रेस्पोन्डेंट सं. 1 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभिभाषक अपीलान्ट एवम् अपीलान्ट के नाम रुक–रुक कर आवाज लगवाई गयी। बार–बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलान्ट और न ही स्वयं अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी थी, किंतु अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट की अनुपस्थिति तथा न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में उनकी अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित हो। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	